an>

Title:Need to exempt employees of Gujarat Safai Kamdar Vikas Nigam from Secion 10 (26B) of Income Tax Act, 1961.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) ः गुजरात सरकार द्वारा किये गये अथक प्र्यासों के बावजूद भी गुजरात के सफाई कर्मचारियों को धारा 10(26बी) आई.टी. एक्ट-1961 के अंतर्गत आयकर से छूट का मामला अभी तक विवाद में फंसा हुआ है। उपरोक्त अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के सभी राज्यों के गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए वचनबद्ध हैं। लेकिन आयकर विभाग, गुजरात सरकार ने उपरोक्त अनुच्छेद को पूर्णतः अनदेखा करते हुए सफाई कर्मचारियों पर पूरा आयकर लगा दिया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी आते हैं।

गुजरात सरकार ने इस संदर्भ में अनेक पत्र् भारत सरकार को लिखे हैं ताकि इन सफाई कर्मचारियों को आयकर में छूट मिले। **""गुजरात सफाई कामदार विकास निगम""** को विशेÂा तौर पर मैला ढोने वाले, कूड़ा बीनने वाले और मलिन कार्यों के लगे लोगों के उत्थान के लिए और उनके विकास के लिए ही बनाया गया था। गुजरात सफाई कामगारों की नियुक्ति में गरीब तबके के लोगों को आयकर से मुक्त करने हेतु राज्य सरकार से कई अनुशंसाएं केंद्र् सरकार को प्र्Âिात की जा चुकी हैं, जो अभी तक लंबित है।

अतः मेरा केंद्र् सरकार से अनुरोध है कि **""गुजरात सफाई कामदार विकास निगम""** को बिना किसी शर्त के आयकर मुक्त किया जाए।